

I/262850/2023

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एस.एल.एस.एम.सी.) की बैठक दिनांक 09.01.2023 का कार्यवृत्त।

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री अनिल कुमार-III, सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्री रणवीर प्रसाद, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. श्री राजेन्द्र पैंसिया, विशेष सचिव, नगर विकास एवं निदेशक, सूडा।
4. श्री अनिल कुमार, विशेष सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
5. श्री राम केवल, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
6. श्री पंकज सक्सेना, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
7. श्री घनश्याम मिश्र, विशेष सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन।
8. श्री संजीव गुप्ता, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ०प्र०, लखनऊ।
9. श्री अतुल सिंह चौहान, कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, उ०प्र०, लखनऊ।
10. श्री राम गोपाल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
11. श्री अनूप श्रीवास्तव, सी० टी० सी० पी०, उ०प्र०।

निदेशक, सूडा/मिशन निदेशक, एसएलएनए द्वारा अवगत कराया गया कि SLSMC कि गत बैठक में निर्देश दिये गये थे कि अपात्र पाये गये लाभार्थियों की अपात्रता का साक्ष्य एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र/विवरण तथा जांच रिपोर्ट आदि को जनपद स्तर पर संरक्षित करना सूडा कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके क्रम में अभिकरण के पत्रांक-4351/01/29/HFA/2022-23 दिनांक 30.12.2022 से समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० को उपरोक्त के अनुपालन हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है एवं अपात्रता का साक्ष्य एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र/विवरण तथा जांच रिपोर्ट आदि को जनपद स्तर पर संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है।

SLSMC की विगत बैठक दिनांक 07.11.2022 को हुई थी, जिसमें दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु जनपदों को अत्यन्त विलम्ब से दिनांक 30.12.2022 को निर्देशित किया गया है। साथ ही 02 माह से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी जनपद स्तर पर

अपात्रता से सम्बन्धित प्रपत्रों को संरक्षित किये जाने का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। उक्त दोनों बिन्दुओं पर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं सख्त निर्देश दिए गए की भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न की जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि अपात्र पाये गये लाभार्थियों की अपात्रता का साक्ष्य एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र/विवरण तथा जांच रिपोर्ट आदि को जनपद स्तर पर संरक्षित कराते हुये इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 31.01.2023 तक प्राप्त कर लिया जाए एवं कृत कार्यवाही से लिखित रूप में मुख्य सचिव कार्यालय को अवगत कराया जाए।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत दिनांक 10.09.2021 की बैठक में SLSMC द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित उप-समिति द्वारा दिनांक 06.01.2022 को आहूत बैठक में बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत नवसृजित निकायों/सीमा विस्तारित क्षेत्रों/ऑनलाइन आवेदनों की 44 परियोजनाओं में 17296 आवासों एवं अन्य निकायों की 44 परियोजनाओं में 23543 आवासों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी एल सी.) एवं भागीदारी में किरायेती आवास (ए.एच.पी.) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किशत प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी Action Taken Report (ATR) का अनुमोदन किया गया।

उप-समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु SLSMC के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिस पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा-01:-दिनांक 10.09.2021 की बैठक में SLSMC द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित उप-समिति द्वारा दिनांक 06.01.2023 की बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार

1.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी एल सी.) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत 116 परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किशत प्राप्त करने हेतु टी०पी०क्यू०एम० की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी **Action Taken Report (ATR)** के अनुमोदन पर विचार।

एस०एल०एस०एम०सी० की बैठक दिनांक 10.09.2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ए०टी०आर० के सम्बन्ध में एस०एल०एस०एम०सी० द्वारा निर्देश दिये गये थे कि “जनपद स्तर पर तैनात परियोजना अधिकारी, इडा एवं इंजीनियर द्वारा टी०पी०क्यू०एम० एजेन्सी की आख्या में दर्शायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए संयुक्त निरीक्षण व अनुपालन आख्या प्राप्त कर ली जाये।”

उक्त के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास

I/262850/2023

- 3 -

निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत 51वी., 52वी, 53वी सीएसएमसी में स्वीकृत 116 परियोजनाओं में TPQMA की प्रथम विजिट की रिपोर्ट में दर्शायी गयी कमियों का निराकरण करते हुए सम्बन्धित जनपदों के परियोजना अधिकारी इडा एवं इंजीनियर द्वारा संयुक्त निरीक्षण व अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उक्त प्राप्त आख्याओं के अनुसार तैयार की गयी 116 परियोजनाओं की Action Taken Report उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर उप-समिति द्वारा दिनांक 06.01.2023 की बैठक में विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी। विगत बैठक में उप-समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त टी0पी0क्यू0एम0 एजेन्सी को आवास निरीक्षण के फोटो में निरीक्षण टीम के सदस्यों को सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट के सापेक्ष उप-समिति द्वारा अनुमोदित 116 परियोजनाओं की ए0टी0आर0 हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

1.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी एल सी.) घटक के अन्तर्गत 13 जनपदों की 29 परियोजनाओं में 14,072 अपात्रों के अभ्यर्पण/कर्टेलमेंट की स्वीकृति।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत 13 जनपदों की 29 परियोजनाओं में 14,072 अपात्रों के कर्टेलमेंट/अभ्यर्पण हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष इडा के हस्ताक्षरोपरान्त डीपीआर प्रेषित की गयी है, जिसमें विभिन्न कारणों से अपात्र पाये गये हैं। वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में स्वीकृत बीएलसी-एन की 28 तथा बीएलसी-ई की 01 कुल 29 परियोजनाओं में 66,352 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें 52,280 लाभार्थी पात्र तथा 14,072 अपात्र हैं। कर्टेलमेंट/ अभ्यर्पण के मुख्य कारण निम्नवत् हैं-

क्र.सं.	अपात्रता के कारण	अपात्रों की संख्या
1	अन्य घटक हेतु पात्र लाभार्थी	53
2	भूमि विवाद/भू-स्वामित्व सम्बन्धी वांछित प्रपत्र उपलब्ध न होना	1069
3	अन्य स्थान पर चले जाना	4580
4	योजना के अन्य घटक में लाभान्वित होना	555
5	PMAY(U) की गाइड लाइन के अनुसार अपात्र (निकाय सीमा से बाहर/पक्का आवास/अधिक आय)	3560
6	लाभार्थी की मृत्यु के उपरान्त कोई नॉमिनी न होना	100
7	आवास बनाने के इच्छुक नहीं	4155
	कुल योग	14072

I/262850/2023

- 4 -

जनपदों से प्राप्त उक्त प्रस्ताव उप-समिति के अनुमोदनोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख में)

घटक	परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत आवास	पात्रों की सं०	अपात्रों की सं०	अभ्यर्पण से पूर्व परियोजना लागत	अभ्यर्पण पश्चात् परियोजना लागत
BLC(N)	28	66,183	52,199	13,984	2,25,565.300	1,78,381.660
BLC(E)	1	169	81	88	428.190	205.230
Total	29	66,352	52,280	14,072	2,25,993.490	1,78,586.890

S. No.	District	No of Project	Sanctioned DU's	Patra	Apatra	Old Project Cost	New Project Cost
BLC-N							
1	Auraiya	1	493	285	208	1,654.990	956.740
2	Azamgarh	2	1,331	1,105	226	4,472.160	3,712.800
3	Balrampur	2	346	273	73	1,314.800	1,037.400
4	Basti	2	451	406	45	1,713.800	1,542.800
5	Fatehpur	4	884	743	141	2,967.560	2,494.240
6	Firozabad	4	28,526	22,233	6,293	95,847.360	74,702.880
7	Jhansi	2	1,484	1,403	81	5,651.470	5,343.010
8	Maharajganj	2	3,617	3,449	168	13,744.600	13,106.200
9	Mau	2	6,122	4,488	1,634	20,569.920	15,079.680
10	Pratapgarh	2	2,092	1,837	255	7,022.790	6,166.770
11	Siddhartnagar	1	1,371	1,274	97	5,209.800	4,841.200
12	Unnao	3	3,218	1,368	1,850	10,802.770	4,592.340
13	Vararanasi	1	16,248	13,335	2,913	54,593.280	44,805.600
BLC-N Total		28	66,183	52,199	13,984	2,25,565.300	1,78,381.660
BLC-E							
1	Fatehpur	1	169	81	88	428.190	205.230
BLC-E Total		1	169	81	88	428.190	205.230
Grand Total BLC-N+E		29	66,352	52,280	14,072	2,25,993.490	1,78,586.890

उप-समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि गत बैठकों में भी अपात्रता के कारणों का गहन परीक्षण करने के निर्देश दिये गये थे, चूंकि किसी भी लाभार्थी के पूर्व में योजनान्तर्गत पात्र होने के उपरान्त अपात्र घोषित किये जाने में भ्रष्टाचार एवं सम्बन्धित कन्सलटेन्ट की संलिप्तता परिलक्षित होती है।

I/262850/2023

- 5 -

उक्त के आलोक में उप-समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रस्तुत की गयी करटेलमेन्ट डीपीआर में से अधिकतम करटेलमेन्ट वाले जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव में 03 कारणों यथा-(1) अन्य स्थान पर चले जाना (2) PMAY(U) की गाइड लाइन के अनुसार अपात्र (निकाय सीमा से बाहर/पक्का आवास/अधिक आय) (3) आवास बनाने के इच्छुक नहीं, से अपात्र होने वाले लाभार्थियों की रैण्डम जांच मुख्यालय स्तर से करायी जाये। जांच उपरान्त जनपद द्वारा उपलब्ध करायी गयी करटेलमेन्ट डीपीआर में भिन्नता पाये जाने की दशा में सम्बन्धित कन्सलटेन्ट/जांचकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाये।

उप-समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिकतम अपात्रों वाले 04 जनपदों में उक्त तीन कारणों से अपात्र किये गये लाभार्थियों की रैण्डम जांच मुख्यालय स्तर से करायी गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	रैण्डम निरीक्षण किये गये आवासों की सं०				निष्कर्ष
		अन्य स्थान पर चले जाना	PMAY(U) की गाइड लाइन के अनुसार अपात्र	आवास बनाने के इच्छुक नहीं	कुल	
1	फिरोजाबाद	05	07	19	31	करटेलमेन्ट डीपीआर में दर्शाये गये अपात्रता के कारण सही पाये गये।
2	मऊ	05	11	07	23	
3	उन्नाव	05	11	09	25	
4	वाराणसी	10	14	10	34	
	योग	25	43	45	113	

सभी जांच आख्याओं के अनुसार रैण्डम चयनित लाभार्थियों के करटेलमेन्ट डीपीआर में दर्शाये गये अपात्रता के कारण सही पाये गये।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त 29 परियोजनाओं में 14072 अपात्रों के करटेलमेन्ट/ अभ्यर्पण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही निर्देश दिये गये कि बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत फ्रीज किये गये 1471010 आवासों के सापेक्ष शेष आवासों की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

1.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत 18 जनपदों की नव सृजित निकायों एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों से 44 परियोजनाओं में 17,296 आवासों के निर्माण हेतु डी०पी०आर० की स्वीकृति।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा के हस्ताक्षरोपरान्त बी०एल०सी०-एन घटक के

- 6 -

अन्तर्गत 18 जनपदों की नव सृजित निकायों एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों से कुल 44 परियोजनाओं में 17,296 आवासों की डी०पी०आर० प्राप्त हुई है। डीपीआर तैयार करने से पूर्व समस्त लाभार्थियों का सत्यापन शासनादेश सं०-568/69-1-2019 दिनांक 01 जुलाई, 2019 के बिन्दु सं०-04 के अनुसार करा लिया गया है, जिसका प्रमाण सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा द्वारा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही नव सृजित निकाय एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों की डीपीआर हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया गया है कि डीपीआर में केवल नव सृजित निकायों एवं सीमा विस्तारित क्षेत्रों में निवासित लाभार्थी ही सम्मिलित हैं तथा सम्बन्धित कन्सलटेन्ट द्वारा समस्त आवेदन पत्रों का वैलिडेशन कर लिया गया है।

उपरोक्त प्रस्तावों का परीक्षण राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) द्वारा करते हुए समिति के समक्ष स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी है। उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्तावों का विवरण निम्नवत् है:-

(Amt. in lacs)						
क्र० सं०	डी०पी०आर० का प्रकार	प्रस्तावित नए आवास	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कुल परियोजना लागत
1	नव सृजित निकायों की डीपीआर	7840	11,760.000	7,840.000	8,340.640	27,940.640
2	सीमा विस्तारित क्षेत्र एवं आनलाईन आवेदनों की डीपीआर	9,348	14,022.000	9,348.000	10,268.851	33,638.851
3	विशेष परिस्थितियों के कारण पुरानी निकायों की डीपीआर	108	162.000	108.000	94.360	364.360
Grand Total		17,296	25,944.000	17,296.000	18,703.851	61,943.851

नव सृजित निकायों की डी०पी०आर०									
क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित नए आवास	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कुल परियोजना लागत	भूकंपीय क्षेत्र (एजेण्डा अनुसार)	वास्तविक भूकंपीय क्षेत्र/BCS
1	Ayodhya	Kumarganj NP	678	1,017.000	678.000	581.030	2,276.030	3	3
2	Ayodhya	Suchitaganj	577	865.500	577.000	494.480	1,936.980	3	3

I/262850/2023

- 7 -

		NP							
3	Chitrakoot	Mau NP	902	1,353.000	902.000	775.720	3,030.720	3	2
4	Deoria	Baitalpur NP	278	417.000	278.000	361.400	1,056.400	4	4&3
5	Deoria	Tarkulwa NP	268	402.000	268.000	348.400	1,018.400	4	4&3
6	Deoria	Pathardeva NP	345	517.500	345.000	448.500	1,311.000	4	4&3
7	Deoria	Bhaluani NP	125	187.500	125.000	162.500	475.000	4	4&3
8	Deoria	Hetimpur NP	150	225.000	150.000	195.000	570.000	4	4&3
9	Etah	Mirhechi NP	622	933.000	622.000	808.600	2,363.600	4	3
10	Gorakhpur	Campiergan NP	637	955.500	637.000	833.370	2,425.870	4	4&3
11	Kanpur Dehat	Rajpur NP	684	1,026.000	684.000	586.170	2,296.170	3	2&3
12	Kanpur Dehat	Raniya NP	657	985.500	657.000	563.040	2,205.540	3	2&3
13	Lucknow	Banthra NP	699	1,048.500	699.000	599.030	2,346.530	3	3
14	Shahjahanpur	Kalan NP	547	820.500	547.000	711.100	2,078.600	4	4&3
15	Sonbhadra	Dalabazar NP	323	484.500	323.000	419.900	1,227.400	4	3
16	Sonbhadra	Anpara NP	348	522.000	348.000	452.400	1,322.400	4	3
Total (A)			7840	11,760.000	7,840.000	8,340.640	27,940.640		

उक्त तालिका के अनुसार जनपद देवरिया की न० पं० भलुआनी में 125 आवास एवं न० पं० हेतिमपुर में 150 आवास प्रस्तावित हैं, जोकि 250 से कम हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उक्त नगर पंचायतों के नवसृजित एवं छोटी होने के कारण यहाँ प्रस्तावित आवासों की संख्या 250 से कम है। इसके अतिरिक्त सभी निकायों में पूर्व में स्वीकृत एवं वर्तमान में प्रस्तावित आवासों को सम्मिलित कर कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 250 या उससे अधिक है।

उक्त सभी परियोजनाओं में भूकम्पीय क्षेत्र के सम्बन्ध में परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जनपद-देवरिया, एटा, गोरखपुर, कानपुर देहात, शाहजहाँपुर व सोनभद्र की डीपीआर में दर्शाये गये भूकम्पीय क्षेत्र वास्तविक भूकम्पीय क्षेत्र से भिन्न हैं। उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत भूकम्पीय क्षेत्र 2 व 3 में निर्मित होने वाले आवासों की लागत मूल्य (costing value) समान है तथा जोन-4 व Black Cotton Soil वाले क्षेत्रों में निर्मित होने वाले आवासों की लागत मूल्य समान है। उक्त के दृष्टिगत भिन्नता वाले जनपदों में से जनपद एटा

- 8 -

एवं जनपद सोनभद्र की परियोजनाओं की डी० पी० आर० में भूकम्पीय क्षेत्र गलत दर्शाये जाने के कारण परियोजना लागत में अन्तर पाया गया है, जिस पर समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि ऐसे सभी प्रकरणों में जहां भूकम्पीय क्षेत्र गलत दर्शाये गये हैं, उन सभी परियोजनाओं के सम्बन्धित डी० पी० आर० कन्सलटेन्ट के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। साथ ही ऐसे प्रकरण, जिनमें भूकम्पीय क्षेत्र गलत होने के कारण परियोजना की लागत में कोई अन्तर आता है, तो सम्बन्धित डी० पी० आर० कन्सलटेन्ट के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

(Source: https://www.researchgate.net/publication/265337167_Uttar_Pradesh_State_Disaster_Management_Plan_for_Earthquake ;

<https://hamirpuronline.blogspot.com/2015/04/soil-types-in-hamirpur.html?m=1>)

सीमा विस्तारित क्षेत्र एवं ऑनलाईन आवेदनों की डी० पी० आर०												
क्र ० ००	जनपद का नाम	निकाय का नाम	पूर्व में स्वीकृ त आवा स	विस् तारि त क्षेत्र	ऑन लाई न	प्रस्तावि त नए आवास	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कुल परियोज ना लागत	भूकम्पीय क्षेत्र (एजेण डानुसार)	वास् तविक भूकम्पीय क्षेत्र/ BCS
1	Ambedkar Nagar	Tanda NPP	3,679		231	231	346.500	231.000	197.960	775.460	3	3
2	Deoria	Bhatni Bazar NP	534		1	1	1.500	1.000	1.300	3.800	4	3&4
3	Deoria	Deoria NPP	3,971	104		104	156.000	104.000	135.200	395.200	4	3&4
4	Etah	Marehra NPP	1,027	481		481	721.500	481.000	625.300	1,827.800	4	3
5	Gorakhpur	Gorakhpur NN	19,978	2,006	360	2,366	3,549.000	2,366.000	3,095.370	9,010.370	4	3&4
6	Gorakhpur	Mundera Bazar NP	779	345		345	517.500	345.000	451.350	1,313.850	4	3&4
7	Gorakhpur	Pipiganj NP	1,159	482		482	723.000	482.000	630.590	1,835.590	4	3&4
8	Gorakhpur	Pipraich NP	1,447	339		339	508.500	339.000	443.500	1,291.000	4	3&4
9	Hamirpur	Hamirpur NPP	2,247		82	82	123.000	82.000	106.600	311.600	4	2(BCS)
10	Hamirpur	Kurara NP	1,351		53	53	79.500	53.000	68.900	201.400	4	2(BCS)
11	Hamirpur	Maudaha NPP	1,601		12	12	18.000	12.000	15.600	45.600	4	2(BCS)
12	Hamirpur	Rath NPP	1,329		25	25	37.500	25.000	32.500	95.000	4	2(BCS)
13	Hamirpur	Sumerpur NP	1,549		40	40	60.000	40.000	52.000	152.000	4	2(BCS)
14	Kanpur Dehat	Pukhrayan NP	947	1,090		1,090	1,635.000	1,090.000	934.110	3,659.110	3	2&3

I/262850/2023

- 9 -

15	Kaushamb	Manjhanpur NP	1,703	1,210		1,210	1,815.000	1,210.000	1,036.950	4,061.950	3	2
16	Lakhimpur Kheri	Dhaurehra NP	3,402	429		429	643.500	429.000	367.640	1,440.140	3	3&4
17	Lakhimpur Kheri	Gola Gokaran Nath NPP	2,130		37	37	55.500	37.000	31.710	124.210	3	3&4
18	Lakhimpur Kheri	Kheri NP	2,742		62	62	93.000	62.000	53.131	208.131	3	3&4
19	Lakhimpur Kheri	Paliyan kalan NPP	2,468		352	352	528.000	352.000	460.510	1,340.510	4	3&4
20	Pratapgarh	Antu NP	726		1	1	1.500	1.000	0.860	3.360	3	2&3
21	Pratapgarh	Kunda NP	1,259		3	3	4.500	3.000	2.570	10.070	3	2&3
22	Pratapgarh	Raniganj NP	3,320		7	7	10.500	7.000	6.000	23.500	3	2&3
23	Pratapgarh	Suvansa NP	1,010		1	1	1.500	1.000	0.860	3.360	3	2&3
24	Prayagraj	Prayagraj NN	1,261	978		978	1,467.000	978.000	838.120	3,283.120	3	2&3
25	Siddharth Nagar	Siddharth Nagar NPP	1,711	340		340	510.000	340.000	442.000	1,292.000	4	4
26	Varanasi	Varanasi NN	31,690		277	277	415.500	277.000	238.220	930.720	3	3
Total (B)				7,804	1,544	9,348	14,022.000	9,348.000	10,268.850	33,638.850		

उक्त तालिका में उल्लेखित समस्त परियोजनाओं की निकायों में पूर्व में स्वीकृत आवासों एवं वर्तमान में प्रस्तावित आवासों को सम्मिलित करने के उपरान्त सभी सम्बन्धित निकायों में कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 250 से अधिक है।

उक्त सभी परियोजनाओं में भूकम्पीय क्षेत्र के सम्बन्ध में परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जनपद-देवरिया, एटा, गोरखपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी व प्रतापगढ़ की डीपीआर में दर्शाये गये भूकम्पीय क्षेत्र वास्तविक भूकम्पीय क्षेत्र से भिन्न हैं। उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत भूकम्पीय क्षेत्र 2 व 3 में निर्मित होने वाले आवासों की लागत मूल्य (costing value) समान है तथा जोन-4 व Black Cotton Soil वाले क्षेत्रों में निर्मित होने वाले आवासों की लागत मूल्य समान है। उक्त के दृष्टिगत भिन्नता वाले जनपदों में से जनपद एटा की परियोजनाओं की डीपीआर में भूकम्पीय क्षेत्र गलत दर्शाये जाने के कारण परियोजना लागत में अन्तर पाया गया है, जिस पर समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि ऐसे सभी प्रकरणों में जहां भूकम्पीय क्षेत्र गलत दर्शाये गये हैं, उन सभी परियोजनाओं के सम्बन्धित डीपीआर कन्सलटेन्ट के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। साथ ही ऐसे प्रकरण, जिनमें भूकम्पीय क्षेत्र गलत होने के कारण परियोजना की लागत में कोई अन्तर

आता है, तो सम्बन्धित डी०पी०आर० कन्सलटेन्ट के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

(Source: https://www.researchgate.net/publication/265337167_Uttar_Pradesh_State_Disaster_Management_Plan_for_Earthquake; <https://hamirpuronline.blogspot.com/2015/04/soil-types-in-hamirpur.html?m=1>)

विशेष परिस्थितियों के कारण पुरानी निकायों की डी०पी०आर०									
क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	पूर्व में स्वीकृत आवास	प्रस्तावित नए आवास	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कुल परियोजना लागत	भूकंपीय क्षेत्र
1	Ayodhya	Ayodhya NN	10,298	104	156.000	104.000	89.130	349.130	3
2	Meerut	Meerut NN	16,326	4	6.000	4.000	5.230	15.230	4
Total (C)				108	162.000	108.000	94.360	364.360	
Grand Total (A+B+C)				17,296	25,944.000	17,296.000	18,703.851	61,943.851	

विशेष परिस्थितियों वाली उक्त 02 परियोजनाओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अयोध्या नगर निगम में हवाई पट्टी विस्तारीकरण से प्रभावित परिवारों के पुर्नवास हेतु जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराते हुये इन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर योजनान्तर्गत आवास निर्माण का लाभ दिलाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में डी०पी०आर० तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। मेरठ नगर निगम में एक दुर्घटना में घर गिर जाने के कारण एक सदस्य की मृत्यु एवं शेष लोगों के बेघर हो जाने एवं खुले में रहने के दृष्टिगत 04 आवासों की डी०पी०आर० तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। नगर निगम अयोध्या एवं मेरठ दोनों में पूर्व में स्वीकृत एवं वर्तमान में प्रस्तावित आवासों को सम्मिलित करने के उपरान्त सभी सम्बन्धित निकायों में कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 250 से अधिक है। साथ ही उक्त दोनों परियोजनाओं में भूकम्पीय क्षेत्र के सम्बन्ध में परीक्षण किया गया, जो सही पाये गये।

(Source: https://www.researchgate.net/publication/265337167_Uttar_Pradesh_State_Disaster_Management_Plan_for_Earthquake; <https://hamirpuronline.blogspot.com/2015/04/soil-types-in-hamirpur.html?m=1>)

उक्त परियोजनाओं की कुल लागत ₹0 61,943.851 लाख है, जिसमें केन्द्रांश ₹0 25,944.00 लाख, राज्यांश ₹0 17,296.00 लाख तथा लाभार्थी अंशदान ₹0 18,703.851 लाख है।

उपरोक्तानुसार नवसृजित निकायों/सीमा विस्तारित क्षेत्रों कुल 17,296 आवासों की डीपीआर SLSMC के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु उप-समिति द्वारा दिनांक 06.01.2023 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही निर्देश दिये गये कि अधिकतम संख्या वाली परियोजनाओं

I/262850/2023

- 11 -

की डीपीआर के लाभार्थियों की पात्रता की रैंडम जांच सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, इडा से कराते हुए फोटोग्राफ सहित आख्या के साथ एसएलएसएमसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

उप-समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में नवसृजित निकायों/सीमा विस्तारित क्षेत्रों की अधिकतम संख्या वाली 06 परियोजनाओं में लाभार्थियों की पात्रता की रैंडम जांच सम्बन्धित परियोजना अधिकारी एवं सी० एल० टी० सी० इंजीनियर से करायी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद	निकाय	प्रस्तावित आवास	रैंडम निरीक्षण किये गये आवास	आख्या
1	गोरखपुर	न० नि० गोरखपुर	2366	20	सभी आवेदक पात्र पाए गए।
2	कौशाम्बी	न० पं० मंझनपुर	1210	50	सभी आवेदक पात्र पाए गए।
3	कानपुर देहात	न० पं० पुखरायां	1090	50	सभी आवेदक पात्र पाए गए।
4	प्रयागराज	न० नि० प्रयागराज	978	13	सभी आवेदक पात्र पाए गए।
5	चित्रकूट	न० पं० मऊ	902	78	सभी आवेदक पात्र पाए गए।
6	लखनऊ	न० पं० बन्थरा	699	70	सभी आवेदक पात्र पाए गए।

प्राप्त जांच आख्याओं के अनुसार रैंडम जांच में सभी आवेदक पात्र पाये गये हैं।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त 44 परियोजनाओं में 17,296 नये आवासों हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

1.4 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत नव सृजित निकायों/सीमा विस्तारित क्षेत्रों एवं आनलाईन आवेदनों से इतर 18 जनपदों की 44 परियोजनाओं में 23,543 आवासों के निर्माण हेतु डी० पी० आर० की स्वीकृति।

अवगत कराना है कि दिनांक 29.10.2021 को उप-समिति की बैठक में योजनान्तर्गत 87,415 नए आवासों की डीपीआर प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें से बी० एल० टी० सी० (नया) घटक की 73,140 आवासों की डीपीआर की स्वीकृति समिति द्वारा निम्नानुसार प्रदान की गयी:-

(i) 13 नवसृजित निकायों में 15,542 आवासों की डीपीआर

- 12 -

- (ii) 14 सीमा विस्तारित निकायों में 38,057 आवासों की डीपीआर
- (iii) HFA Achieved हेतु चयनित 28 निकायों में 12,349 आवासों की डीपीआर
- (iv) 20 अन्य निकायों में 7,192 आवासों की डीपीआर

तत्पश्चात दिनांक 23.04.2022 को उप-समिति की बैठक में उक्त 87,415 में से अवशेष 14,275 आवासों की डीपीआर हेतु शासनादेश सं0-568 दिनांक 01.07.2019 के बिन्दु सं0-04 के अनुसार सभी लाभार्थियों की जांच किये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध सम्बन्धित जिलाधिकारी से किया गया था, जिसके क्रम में 12,309 आवासों की परियोजना हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें बी0एल0सी0-एन में 11,576 आवास व बी0एल0सी0-ई में 933 आवास सम्मिलित थे। उक्त के अतिरिक्त बी0एल0सी0-एन के अन्तर्गत 67 अन्य परियोजनाओं में 46,394 आवास तथा बी0एल0सी0-ई के अन्तर्गत 03 अन्य परियोजनाओं में 1,304 आवासों कुल 70 परियोजनाओं में 47,698 आवासों की डी0पी0आर0 को स्वीकृति हेतु दिनांक 23.04.2022 को उप-समिति की बैठक में प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार कुल 86 परियोजनाओं में 60,007 आवासों की डी0पी0आर0 बैठक में प्रस्तुत की गई थी। उप-समिति द्वारा बी0एल0सी0-ई की पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं में अपात्रों की संख्या अत्याधिक होने के कारण बी0एल0सी0-ई की 07 परियोजनाओं में 2,237 आवासों को छोड़ते हुए बी0एल0सी0-एन की 79 परियोजनाओं में 57,770 आवासों हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

साथ ही भविष्य में नए आवासों की डीपीआर स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये:-

1. बी0एल0सी0-ई घटक के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं में अत्याधिक मात्रा में लाभार्थियों के अपात्र होने के दृष्टिगत नई डीपीआर न ली जाये।
2. जनपद फिरोजाबाद एवं संत कबीर नगर में जनसंख्या के अनुपात में अत्यधिक आवासों की स्वीकृति के दृष्टिगत भविष्य में कोई नई डीपीआर न ली जाये।
3. करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण के सापेक्ष नए आवासों की स्वीकृति हेतु नवसृजित नगर निकायों एवं वर्तमान नगर निकायों के सीमा विस्तारित क्षेत्रों से प्राथमिकता के आधार पर डीपीआर प्राप्त की जाय।

अवगत कराना है कि दिनांक 23.04.2022 को उप-समिति की बैठक में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में गत एस0एल0एस0एम0सी0 बैठक दिनांक 07.11.2022 में योजनान्तर्गत करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण के सापेक्ष नए आवासों की स्वीकृति हेतु केवल नवसृजित नगर निकायों एवं वर्तमान नगर निकायों के सीमा विस्तारित क्षेत्रों तथा ऑन लाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों की ही डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी थी।

I/262850/2023

- 13 -

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र सं०- N-11011/37/2021-HFA-IV-UD (E-9111947) दिनांक 17.08.2022 से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की अवधि 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31.12.2024 की गयी है। साथ ही योजनान्तर्गत 31.03.2022 तक स्वीकृत आवासों को फ्रीज कर दिया गया है। उक्त तिथि तक प्रदेश में बी०एल०सी० घटक में कुल 14,71,010 आवास स्वीकृत थे।

64 वीं सीएसएमसी तक बी०एल०सी० घटक में कुल 13,91,028 आवास स्वीकृत हैं। उक्त के अतिरिक्त नवसृजित निकाय/सीमा विस्तारित क्षेत्र एवं ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए कुल 17,296 नए आवासों की डी०पी०आर० का प्रस्ताव एवं 14,072 अपात्रों के करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण का प्रस्ताव इस बैठक में प्रस्तुत है, जिसके उपरान्त कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 13,94,252 हो जायेगी। बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत फ्रीज की गयी संख्या 14,71,010 के बराबर स्वीकृत कराये जाने हेतु 76,758 आवास अतिरिक्त स्वीकृत कराये जाने होंगे। उल्लेखनीय है कि जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 11 हजार अपात्रों का करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण एवं लगभग 22 हजार नए ऑनलाइन आवासों हेतु आवेदनों का सत्यापन जनपद स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत नवसृजित निकाय/सीमा विस्तारित क्षेत्र एवं ऑनलाइन आवेदन पत्रों से इतर 20 जनपदों की 48 परियोजनाओं में 24,599 नए आवासों की डीपीआर सूझा में प्राप्त हैं, जिसे दिनांक 23.04.2022 को उप-समिति की बैठक में प्रदत्त निर्देशों के उपरान्त SLSMC बैठक में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अतएव उक्त तथ्यों के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बी०एल०सी० घटक के अन्तर्गत नवसृजित निकाय/सीमा विस्तारित क्षेत्र एवं ऑनलाइन आवेदन पत्रों से इतर 18 जनपदों की 44 परियोजनाओं में 23,543 आवासों की डीपीआर जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के साथ एवं 02 जनपदों की 04 परियोजनाओं में 1,056 आवासों की डीपीआर, जिनके जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र अप्राप्त थे, स्वीकृति हेतु उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

18 जनपदों की 44 परियोजनाओं में 23,543 आवासों की डीपीआर, जिसके प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित हैं, का विवरण निम्नवत् है:-

सीमा विस्तारित क्षेत्र एवं ऑनलाइन आवेदनों से इतर जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित डी०पी०आर०										
क.सं	जनपद का नाम	निकाय का नाम	पूर्व में स्वीकृत	प्रस्तावित नए आवास	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कुल परियोजना लागत	भूकंपीय क्षेत्र (एजेण)	वार्षिक भूकंपीय

-14-

			आवा स						डानुसार)	क्षेत्र/ BCS
1	G. B. Nagar	Jahangirpur NP	252	98	147.000	98.000	128.210	373.210	4	4
2	Rae Bareli	Lalganj NP	877	282	423.000	282.000	241.660	946.660	3	2&3
3	Rae Bareli	Parsadepur NP	533	97	145.500	97.000	83.130	325.630	3	2&3
4	Hardoi	Hardoi NPP	148	42	63.000	42.000	35.990	140.990	3	3
5	Hardoi	Madhoganj NP	403	250	375.000	250.000	214.240	839.240	3	3
6	Hardoi	Mallawan NPP	1,444	289	433.500	289.000	247.670	970.170	3	3
7	Prayagraj	Prayagraj NN	1,261	1,025	1,537.50 0	1,025.00 0	878.400	3,440.90 0	3	2&3
8	Etawah	Bharthana NPP	1,076	832	1,248.00 0	832.000	713.010	2,793.010	3	2&3
9	Etawah	Ekdil NP	1,205	700	1,050.00 0	700.000	599.890	2,349.89 0	3	2&3
10	Etawah	Etawah NPP	1,312	2,114	3,171.00 0	2,114.000	1,811.66 0	7,096.66 0	3	2&3
11	Etawah	Jaswantnagar NPP	888	957	1,435.50 0	957.000	820.130	3,212.630	3	2&3
12	Etawah	Lakhna NP	546	168	252.000	168.000	143.970	563.970	3	2&3
13	Bareilly	Shahi NP	187	592	888.000	592.000	769.600	2,249.60 0	4	3&4
14	Pratapgarh	Katra Medniganj NP	366	105	157.500	105.000	89.980	352.480	3	2&3
15	Barabanki	Banki NP	904	755	1,132.50 0	755.000	647.020	2,534.52 0	3	3
16	Farrukhabad	Kamalganj NP	220	108	162.000	108.000	92.550	362.550	3	3
17	Bulandshahar	Bugrasi NP	2,071	633	949.500	633.000	828.130	2,410.630	4	3&4
18	Gorakhpur	Barhalganj NP	1,564	469	703.500	469.000	609.700	1,782.200	4	3&4
19	Gorakhpur	Gola Bazar NP	2,022	508	762.000	508.000	660.400	1,930.40 0	4	3&4
20	Gorakhpur	Sangrampur NP	3,063	1,112	1,668.00 0	1,112.000	1,445.60 0	4,225.60 0	4	3&4
21	Bulandshahar	Pahasu NP	1,711	305	457.500	305.000	399.020	1,161.520	4	3&4
22	Ghaziabad	Faridnagar NP	1,643	699	1,048.50 0	699.000	914.480	2,661.980	4	4
23	Ghaziabad	Niwari NP	692	85	127.500	85.000	111.200	323.700	4	4
24	Kaushambi	Karari NP	1,118	159	238.500	159.000	136.260	533.760	3	2
25	Kaushambi	Sarai Aquil NP	973	225	337.500	225.000	192.820	755.320	3	2

I/262850/2023

- 15 -

26	Prayagraj	Koraon NP	674	190	285.000	190.000	162.830	637.830	3	2&3
27	Prayagraj	Prayagraj NN	1,261	567	850.500	567.000	485.910	1,903.410	3	2&3
28	Saharanpur	Ambehta NP	797	107	160.500	107.000	139.980	407.480	4	4
29	Saharanpur	Nakur NPP	1,742	443	664.500	443.000	579.560	1,687.060	4	4
30	Saharanpur	Saharanpur NN	14,192	529	793.500	529.000	692.070	2,014.570	4	4
31	Saharanpur	Titron NP	1,025	323	484.500	323.000	422.570	1,230.070	4	4
32	Amethi	Jais NPP	2,429	2,010	3,015.000	2,010.000	1,722.530	6,747.530	3	2&3
33	Hardoi	Hardoi NPP	148	60	90.000	60.000	51.417	201.417	3	3
34	Jalaun	Kadaura NP	683	484	726.000	484.000	633.200	1,843.200	4	2 (BCS)
35	Jalaun	Kotra NP	443	518	777.000	518.000	677.680	1,972.680	4	2(BCS)
36	Jalaun	Orai NPP	8,097	2,577	3,865.500	2,577.000	3,371.410	9,813.910	4	2 (BCS)
37	Jalaun	Rampura NP	398	344	516.000	344.000	450.040	1,310.040	4	2 (BCS)
38	Ambedkar Nagar	Ashrafpur Kichhauncha	2,017	1,470	2,205.000	1,470.000	1,259.760	4,934.760	3	3
39	Ambedkar Nagar	Itifatganj Bazar NP	1,007	197	295.500	197.000	168.830	661.330	3	3
40	Etawah	Bakewar NP	565	288	432.000	288.000	246.810	966.810	3	2&3
41	Prayagraj	Prayagraj NN	1,261	149	223.500	149.000	127.690	500.190	3	2&3
42	Hapur	Babugarh NP	80	14	21.000	14.000	18.320	53.320	4	4
43	Hapur	Garhmukteshwar NPP	1,934	412	618.000	412.000	539.010	1,569.010	4	4
44	Hapur	Pilkhuwa NPP	567	252	378.000	252.000	329.680	959.680	4	4
Total			23,543		35,314.500	23,543.000	24,894.017	83,751.517		

उक्त तालिका के अनुसार जनपद हापुड की न० पं० बाबूगढ़ में 14 आवासों की डीपीआर प्रस्तावित है एवं पूर्व में स्वीकृत 80 आवासों को सम्मिलित कर कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 94 होगी, जोकि 250 से कम है। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उक्त नगर पंचायत के छोटी होने के कारण यहाँ प्रस्तावित आवासों की संख्या 250 से कम है। इसके अतिरिक्त सभी निकायों में पूर्व में स्वीकृत एवं वर्तमान में प्रस्तावित आवासों को सम्मिलित कर कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 250 या उससे अधिक है।

उक्त सभी परियोजनाओं में भूकम्पीय क्षेत्र के सम्बन्ध में परीक्षण किया गया, जिसमें

- 16 -

पाया गया कि जनपद-रायबरेली, प्रयागराज, इटावा, बरेली, प्रतापगढ़, बुलन्दशहर, गोरखपुर, कौशाम्बी, अमेठी व जालौन की डीपीआर में दर्शाये गये भूकंपीय क्षेत्र वास्तविक भूकंपीय क्षेत्र से भिन्न हैं। उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत भूकंपीय क्षेत्र 2 व 3 में निर्मित होने वाले आवासों की लागत मूल्य (costing value) समान है तथा जोन-4 व Black Cotton Soil वाले क्षेत्रों में निर्मित होने वाले आवासों की लागत मूल्य समान है। उक्त के दृष्टिगत भिन्नता वाले जनपदों में से किसी भी जनपद की परियोजनाओं की डी० पी० आर० में भूकंपीय क्षेत्र गलत दर्शाये जाने के कारण परियोजना लागत में कोई अन्तर नहीं पाया गया है। जिस पर समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि ऐसे सभी प्रकरणों में जहां भूकंपीय क्षेत्र गलत दर्शाये गये हैं, उन सभी परियोजनाओं के सम्बन्धित डी० पी० आर० कन्सलटेन्ट के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। साथ ही ऐसे प्रकरण, जिनमें भूकंपीय क्षेत्र गलत होने के कारण परियोजना की लागत में कोई अन्तर आता है, तो सम्बन्धित डी० पी० आर० कन्सलटेन्ट के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

(Source: [https://www.researchgate.net/publication/](https://www.researchgate.net/publication/265337167_Uttar_Pradesh_State_Disaster_Management_Plan_for_Earthquake)

265337167_Uttar_Pradesh_State_Disaster_Management_Plan_for_Earthquake; <https://hamirpuronline.blogspot.com/2015/04/soil-types-in-hamirpur.html?m=1>)

उक्त परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 83,751.517 लाख है, जिसमें केन्द्रांश ₹ 35,314 50 लाख, राज्यांश ₹ 23,543 00 लाख तथा लाभार्थी अंशदान ₹ 24,894.017 लाख है।

अतः उप-समिति विचारोपरान्त उपरोक्त 18 जनपदों की 44 परियोजनाओं में 23,543 आवासों की डीपीआर, जिसके प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित हैं, को एस० एल० एस० एम० सी० के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही निर्देश दिये गये कि अधिकतम संख्या वाली परियोजनाओं की डीपीआर के लाभार्थियों की पात्रता की रैंडम जांच सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, डूडा से कराते हुए फोटोग्राफ सहित आख्या के साथ एसएलएसएमसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

उप-समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में उपरोक्त परियोजनाओं में से अधिकतम संख्या वाली 04 परियोजनाओं में लाभार्थियों की पात्रता की रैंडम जांच सम्बन्धित परियोजना अधिकारी एवं सी० एल० टी० सी० इंजीनियर से करायी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	जनपद	निकाय	प्रस्तावित आवास	रैंडम निरीक्षण किये गये आवास	आख्या
1	जालौन	न० पा० परि० उरई	2,577	20	सभी आवेदक पात्र पाए गए।
2	इटावा	न० पा० प० इटावा	2,114	24	सभी आवेदक पात्र पाए गए।
3	अमेठी	न० पा० प० जायस	2,010	31	सभी आवेदक पात्र

I/262850/2023

- 17 -

					पाए गए।
4	अम्बेडकर नगर	न 0 पं0 अशरफपुर किछौछा	1,470	10	सभी आवेदक पात्र पाए गए।

प्राप्त जांच आख्याओं के अनुसार जनपद जालौन, इटावा, अमेठी एवं अम्बेडकर नगर में रैण्डम जांच में सभी आवेदक पात्र पाये गये।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त 44 परियोजनाओं में 23543 नये आवासों हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

नोट:-

उप-समिति द्वारा उपरोक्तानुसार Curtailment/अभ्यर्पण एवं नए आवासों के अनुमोदनोपरान्त प्रदेश में बी0 एल 0 सी0 घटक के अन्तर्गत कुल आवासों की संख्या 14,17,795 हो जाएगी।

SLSMC द्वारा दिनांक 07.11.2022 तक स्वीकृत आवास (अ)	13,91,028
SLSMC के समक्ष प्रस्तुत Curtailment /अभ्यर्पण (ब) (दिनांक 07.11.2022 से अब तक प्राप्त)	14,072
SLSMC के समक्ष प्रस्तुत नए आवासों की डीपीआर (स) (दिनांक 07.11.2022 से अब तक प्राप्त)	17,296
SLSMC के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत आवासों की संख्या (अ-ब+स)	13,94,252
SLSMC के समक्ष प्रस्तुत नव सृजित निकायों, सीमा विस्तारित क्षेत्रों एवं आनलाईन आवेदनों के अतिरिक्त प्राप्त अन्य डी0 पी0 आर 0 (ड)	23,543
SLSMC के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत आवासों की संख्या (अ-ब+स+ड)	14,17,795
फ्रीज की गयी संख्या 14,71,010 के बराबर स्वीकृति हेतु स्वीकृत कराये जाने वाले आवासों की संख्या	53,215

1.5 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत 02 परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किशत प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी **Action Taken Report** की स्वीकृति।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा निजी विकासकर्ता मै0 इन्नोवेटर्स डिजिटल रैड्स प्रा0 लि0 की 36वीं सीएसएमसी में स्वीकृत 01 परियोजना एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा 39वीं सीएसएमसी में स्वीकृत 01 परियोजना में भारत सरकार से आगामी किशत प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट (TPQMA) पर की गयी कार्यवाही (Action Taken Report) की उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षरोपरान्त प्राप्त आख्या उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी,

- 18 -

जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	सीएसएमसी की सं० एवं तिथि	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या
1	प्रयागराज विकास प्राधिकरण (मै० इन्नोवेटर्स डिजिटल ऐड्स प्रा० लि०)	36 वी/24.07.2018	यमुना इन्क्लेव	141
2	वाराणसी विकास प्राधिकरण	39 वी/30.10.2018	ग्राम कुरुहुआ	250

उक्त प्रस्ताव पर उप-समिति द्वारा दिनांक 06.01.2023 की बैठक में विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त टी०पी०क्यू०एम० रिपोर्ट के सापेक्ष उप-समिति द्वारा अनुमोदित उपरोक्त 02 परियोजनाओं की ए०टी०आर० हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

1.6 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत 360 परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी **Action Taken Report** की स्वीकृति।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत 33 वी से 50 वी सीएसएमसी तक स्वीकृत 360 परियोजनाओं में TPQMA की द्वितीय विजिट की रिपोर्ट में दर्शायी गयी कमियों के सापेक्ष तैयार की गयी 360 परियोजनाओं की Action Taken Report (ATR) उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

उक्त प्रस्ताव पर उप-समिति द्वारा दिनांक 06.01.2023 की बैठक में विचारोपरान्त 360 परियोजनाओं की ए०टी०आर० भारत सरकार से आगामी (तृतीय) किश्त प्राप्त किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त टी०पी०क्यू०एम० रिपोर्ट के सापेक्ष उप-समिति द्वारा अनुमोदित 360 परियोजनाओं की ए०टी०आर० हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा-02:-भागीदारी में किफायती आवास घटक की 04 परियोजनाओं के संशोधित अनुलग्नक-7 बी के अनुमोदन पर विचार।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक की स्वीकृत परियोजनाओं में से 04 परियोजनाओं में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवासों का आवंटन किया गया है, जिस हेतु परियोजनाओं में आवंटन के अनुसार जाति एवं लिंग के विवरण को संशोधित कर परियोजनाओं हेतु अनुलग्नक-7 बी उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराते हुए एमआईएस पोर्टल पर विवरण अपडेट कराने का अनुरोध किया गया है, जिसके आधार पर एम०आई०एस० पोर्टल पर निम्नलिखित परियोजनाओं के

I/262850/2023

-19-

अनुलग्नक-7 बी में संशोधन किया जाना है:-

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	जनपद	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवास	आवंटित आवास	सीएसएमसी सं. व दिनांक
1	गाजियाबाद वि० प्रा० (मै० जय अम्बे एस्टेट प्रा.लि.)	गाजियाबाद	जगदीशपुरम	147	147	39 वी/ 30.10.2018
2	गाजियाबाद वि० प्रा० (मै० अजनारा इण्डिया लि०)	गाजियाबाद	अजनारा	318	155	39 वी/ 30.10.2018
3	गाजियाबाद वि० प्रा० (मै० एन्थम यश कीर्ति प्रा.लि.)	गाजियाबाद	ओजोन क्लासिक, ग्राम नूरनगर व ग्राम सादिक	333	40	42 वी/ 30.01.2019
4	गाजियाबाद वि० प्रा० (मै० ए.टी.एस. गैंड रियल्टर)	गाजियाबाद	ग्राम रसूलपुर, सीक रोड	789	779	39 वी/ 30.10.2018

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि परियोजनाओं की स्वीकृति के समय लाभार्थियों का चयन अनिवार्य न होने के कारण पोर्टल पर प्रोजेक्ट क्रिएशन के समय समस्त आवासों को सामान्य श्रेणी में दर्शाया जाता है। भागीदारी में किफायती आवास घटक में आवास आवंटन शासनादेश सं०-1022/ आठ-1-18-93 विविध/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2018 में उल्लिखित वरीयता नीति के अनुसार किया जाता है। उपरोक्तानुसार पोर्टल पर अंकित परियोजनाओं के श्रेणीवार विवरण में आवंटित आवासों के आधार पर संशोधन किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रस्ताव उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षरोपरान्त प्राप्त हुए हैं।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार संशोधित एनेक्जर-7 बी की स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही निर्देश दिये गये कि भविष्य में एनेक्जर-7 बी के संशोधन का प्रस्ताव जातिवार एवं लिंगवार ब्रेकअप के साथ प्रस्तुत किया जाय।

एजेण्डा-03:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों के एम०आई०एस० पोर्टल पर अटैचमेन्ट में संशोधन किये जाने हेतु अनुमोदन पर विचार।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भारत सरकार के एम०आई०एस० पोर्टल पर लाभार्थियों के अटैचमेन्ट के समय की गयी प्रविष्टियों में संशोधन किया जाना है। उक्त में बी० एल० सी० घटक के अन्तर्गत 03 जनपद के 04 लाभार्थियों का श्रेणी (caste) तथा 08

- 20 -

जनपदों के 25 लाभार्थियों का अटैचमेन्ट अन्य परियोजनाओं में हो जाने के कारण कुल 09 जनपदों में 29 लाभार्थियों के अटैचमेन्ट में संशोधन हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

ए0एच0पी0 घटक में जनपद मेरठ के 49 लाभार्थियों के जनपद/पता, 10 लाभार्थियों में पिता का नाम, 01 लाभार्थी की श्रेणी (caste) कुल 60 लाभार्थियों के अटैचमेन्ट में संशोधन किया जाना है। जनपद मुरादाबाद में 04 लाभार्थियों में पिता का नाम तथा 12 लाभार्थियों का अटैचमेन्ट अन्य परियोजनाओं में हो जाने के कारण कुल 16 लाभार्थियों के अटैचमेन्ट में संशोधन किया जाना है एवं 72 लाभार्थियों का आवंटन निरस्त किया गया है, जिनका अटैचमेन्ट पोर्टल से हटाया जाना है। जनपद वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 608 आवासों की साई सिटी परियोजना में कास्ट / जेन्डर मॉडिफिकेशन किया जाना है।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार लाभार्थियों के अटैचमेन्ट में संशोधन/मॉडिफिकेशन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

Signed by अमृत अभिजात
(अमृत अभिजात)
Date: 17-01-2023 13:12:42
Reason: Approved
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

संख्या:-53/69-1-2023-14(235)/2015

लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2023

कार्यालय-आदेश

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,

I/262850/2023

उ०प्र० शासन।

8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
11. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०।
13. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
15. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा।
16. गार्ड बुक।

(अनिल कुमार)

विशेष सचिव

14/01/2023